

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

विषय :- प्रस्ताव“Construction of Widening and Strengthening Road from Viratnagar (NH-248A) to Chilpali Mod (NH-148) Via Teori , Sewra Palri, Palri Tiraha , Ghotra, Sawami ki Dhani, Badshahpur, Gudha Baijanathpura, Todalari, Tehsil-Viratnagar, District -Jaipur (Rajasthan)” के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक: एफ ()FCA/उवसंजउ/2021-22/6523 दिनांक 16.07.2021

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरमित पत्र के क्रम में लेख है कि हमारे द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव का आप द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त जो कमियां बताई गई है जिनकी पूर्ति कर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है:-

Sr. No	Observations	Reply
1.	आप द्वारा जमा करायी गई पत्रावली के पृष्ठ संख्या 3, पृष्ठ संख्या 10 व पृष्ठ संख्या 12 पर अंकित प्रस्तावित सड़क की लम्बाई में भिन्नता है।	सड़क की लम्बाई प्रशासनिक स्वीकृति में लगभग ली जाती है। इसलिए सड़क की लम्बाई में भिन्नता है। तथा सड़क की लम्बाई 29.900 कि.मी. है।
2.	पत्रावली में वर्णित प्रस्तावित प्रत्यावर्तित एरिया में GPS Coordinates का मिलान दिनांक 13.07.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता, सहायक वन संरक्षक, कोटपूतली मय स्टाफ, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड कोटपूतली व आपके साथ किये गये मौका निरीक्षण के दौरान मौके से करने पर उनका मिलान नहीं हुआ। अतः वन भूमि के नक्शों के आधार पर प्रस्तावित प्रत्यावर्तित एरिया में संशोधित कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करावें।	संशोधित कर दिया गया है।
3.	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 117 पर बनाये गये Legend में Sanctuary Boundary, Forest Block Boundary लिखा हुआ है, की स्थिति स्पष्ट करें।	संशोधित कर दिया गया है।
4.	आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पृष्ठ स्पष्ट नहीं है।	संशोधित कर दिया गया है।
5.	आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने का शपथ पत्र लगाया गया है, जबकि वन भूमि से लगती हुई समतुल्य गैर वन भूमि का आवंटन वन विभाग के नाम करवाने की कार्यवाही करवाकर उसका राजस्व नक्शा, जमाबंदी, जी0टी0 शीट पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसकी के0एम0एल0 फाईल व जी0पी0एस0 कोर्डिनेट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि उसकी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव व LAND SUITABILITY CERTIFICATE बनाये जा सके।	गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है जो कि जिला कलेक्टर जयपुर के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। भूमि आवंटन होते ही उप वन संरक्षक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।
6.	प्रस्ताव के सलग्न FRA Certificate की प्रति लगाया जाना प्रस्तावित है।	FRA Certificate प्रस्तुत करने का शपथ पत्र दिया गया है। तथा FRA Certificate प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। FRA Certificate प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
7.	पूरे प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों के सारांश का दिया जाना प्रस्तावित है।	वृक्षों की गणना के लिए रेंज ऑफिसर से सम्पर्क कर वृक्षों की गणना सूची भिजवा दी जायेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(अनिल कुमार मीना)

सहायक अभियन्ता

सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-I जयपुर

(Anil Kumar Meena)

Assistant Engineer ,

PWD Sub Division ,Viratnagar-I